झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
आदेश

संचिका संख्या– 4/आ0वि0–01–1029/2016 51 राँची,दिनांक– 6/2/18

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, दुमका प्रक्षेत्र, दुमका, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक–504 दिनांक–03.10.2016 द्वारा समर्पित पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा अन्तर्गत करमाटाँड ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना के विस्तारीकरण कार्य का जाँच प्रतिवेदन के कंडिका (ii) में कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को कार्य की प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का दोषी माना गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, श्री अमित कुमार सिंह, द्वारा PWD Code के नियम 51 C के तहत् Monthly progress Report लगभग 11 माह तक नही देने तथा कार्य पूर्ण होने के 11 माह व्यतीत होने तक मापी नही करने के साथ–साथ ससमय विपत्र तैयार नही करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

2. उक्त वर्णित प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये आरोपो हेतु श्री सिंह को विभागीय आदेश संख्या–18 सहपठित ज्ञापांक–1132 दिनांक–06.03.2017 द्वारा निलंबित किया गया। श्री सिंह द्वारा निलंबन मुक्ति हेतु अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नही पाया गया। तदोपरान्त पूरे मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त विभाग द्वारा उक्त वर्णित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों हेतु श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय आदेश संख्या–212 सहपठित ज्ञापांक–2670 दिनांक–07.06.2017 द्वारा प्रपत्र–क गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

3. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच पूर्ण कर उनके पत्रांक–94 दिनांक–08.01.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री सिंह को निलम्बन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के कम में कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा से कतिपय सूचना प्राप्त कर अंतिम आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते हैं :–

(क). श्री अमित कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता (प्राक्कलक), पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति निलंबित, अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, देवघर को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

(ख). निलंबन से मुक्ति के उपरांत श्री सिंह के पदस्थापन की कार्रवाई प्रशाखा–3 द्वारा की जायेगी।

(ग). विभागीय आदेश संख्या–212 सहपठित ज्ञापांक–2670 दिनांक–07.06.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही पर इस आदेश का कोई प्रभाव नही पडेगा।

(घ). झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के कंडिका 10 के तहत् श्री सिंह के निलंबन अवधि के वेतन भत्ते का निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल से प्रभावित होगा।

(ङ). यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(च). श्री सिंह द्वारा निलंबन मुक्ति के पश्चात् मुख्यालय में योगदान दिया जायेगा।

C:\Users\win8\Desktop\Section-04\Office work\order\Suspetion\Amit kumar singh Suspetion Mukti.docx

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री अमित कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता (प्राक्कलक), पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति निलंबित, अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, देवघर एवं अन्य सम्बन्धित को दी जाय।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 648 राँची, दिनांक– 6/2/18

प्रतिलिपि– मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव /सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख /सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3, 4 एवं 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 648 राँची, दिनांक– 6/2/18

प्रतिलिपि– श्री इन्द्रदेव मंडल, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची सह जाँच संचालन पदाधिकारी तथा राजेश कुमार, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची सह उपस्थापन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 648 राँची, दिनांक– 6/2/18

प्रतिलिपि– श्री अमित कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति निलंबित अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 648 राँची, दिनांक– 6/2/18

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि श्री सिंह को आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभाग को सूचित किया जाय।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 648 राँची, दिनांक– 6/2/18

प्रतिलिपि–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) (PMU), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

06/02/18